

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोवर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 883 सन 2019

अगवान :-

1. विनोद पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवारी ललानावारा जेतारारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र धूकलराम जाति खाती निवारी ललानावारा जेतारारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सारुल पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवारी ललानावारा जेतारारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवारी ललानावारा जेतारारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिष्ठत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14/7/20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानावारा जेतारारी के खाता संख्या 51/50 की कुल 77380 हेक् व रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 38/35 की कुल 52480 हेक् में से 2624 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपरिष्ठत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके दादा पूरण वल्द माना के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का हक हिरसा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तरदीक किया जाकर शामिल गिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल गिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास जेतासरी के खाता संख्या 51/50 की कुल 7.7380 है व रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 38/35 की कुल 5.2480 है व 2.624 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिरसा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने रवीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास जेतासरी के खाता संख्या 51/50 की कुल 7.7380 है व रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 38/35 की कुल 5.2480 है व 2.624 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


भूप्रवन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि पूरण वल्द माना के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा पूरण वल्द माना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

दफ्तरी अधिकारी
बोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर बरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का निरसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा ललानावारा जेताराशी के खाता संख्या 51/50 की कुल 7.7380हैक् भूमि जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रो दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 वहिव के खातेदार काश्तकार धेषित किया जाता है तथा रोही गौजा नहराना के खाता संख्या 38/35 की कुल 5.2480हैक् में से 2.624हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शागिल गिराल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलारा में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिवक्ता (सिवासीरव)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विनोद पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवासी ललानाबास जेतारसी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र धूकलराम जाति खाती निवासी ललानाबास जेतारसी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सार्दुल पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवासी ललानाबास जेतारसी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवासी ललानाबास जेतारसी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 883 सन 2019 निर्णय दिनांक-14/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के रामक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास जेतारसी के खाता संख्या 51/50 की कुल 7.7380 हैक् भूमि जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धेषित किया जाता है तथा रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 38/35 की कुल 5.2480 हैक् में से 2.624 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)